मानव कल्याण संगठन की ओर से मासिक महाआरती

सवेरा न्यूज,राकेश

जगाधरी, 3 अगस्त : नशे-मांसाहार से मुक्त,चरित्रवान,चेतनावान, पुरुषार्थी, परोपकारी एवं सद्भावना पूर्ण समाज के निर्माण के लक्ष्य को लेकर सदगुरूदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पचंज्योति शक्ति तीर्थ सिध्दांश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हर माह की तरह इस माह भी मासिक महाआरती का आयोजन प्राचीन शिव मन्दिर, भटली में बड़ी भव्यता के साथ किया गया। सर्वप्रथम माँ व गुरूवर श्री के जयकारें लगवाये गए फिर तीन-तीन बार शंखनाद किया गया।कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय ने सामूहिक रूप से साधनाक्रम पूर्ण करते हुए दिव्य महाआरती का लाभ प्राप्त किया व नशामुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया । मंच संचालन डॉ.संजीव हरनौली ने किया।समापन की बेला पर संगठन के प्रदेश प्रभारी मा.रणधीर सिंह ने कहा कि कौन से कर्म करें तथा कौन से कर्म न करें?इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिये गुरु की आवश्यकता होती है।इसीलिये राजा महाराजा भी अपना धर्मगुरु नियुक्त करते थे। इसी के लिये समाज को भी कहा गया है कि जब तक वह गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक उसकी मुक्ति और उसका कल्याण नहीं होता। इस मौके पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रदीप कलेसर ने आये हुए भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के कार्यकर्ता समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने और नशामुक्त ,मांसाहारमुक्त, चरित्रवान, परोपकारी और पुरुषार्थी समाज के निर्माण के साथ-साथ सभी को एक सूत्र में बांधकर जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सम्प्रदायिकता आदि सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं।

युवक से पर्स छीनने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

सवेरा न्यूज, ओमपाहवा

यमुनानगर, 3 अगस्त : पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जिला पुलिस को अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा - 1की टीम ने युवक से पर्स छीनने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से चोरी का पर्स बरामद किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।इंचार्ज राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक किसी वारदात को अंजाम देने के लिए संत थॉमस स्कूल जगाधरी के पास घूम रहे हैं। इस सूचना पर एएसआई आजाद सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत मौके पर जाकर वहां घूम रहे दो युवकों को काबू किया पूछताछ पर जिनकी पहचान आनंद कॉलोनी पुराना हमीदा निवासी जज उर्फ बंटी पुत्र राय सिंह तथा फैजान पुत्र गुलजार के रूप में हुई। पूछताछ पर आरोपियों ने 31 जुलाई को शमशान घाट जगाधरी के नजदीक से एक व्यक्ति की जेब से जबरदस्ती उसका पर्स छीनने की वारदात का खुलासा किया। आरोपियों से चोरी का पर्स व पैसे बरामद किये गये। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

50 लाख रुपये का लोन दिलवाने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपए हड़पे

सवेरा न्यूज, ओमपाहवा (यमुनानगर) 3 अगस्त : जिले के सरस्वती नगर निवासी अमन सैनी को 50 लाख रुपये का लोन दिलवाने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये हड़प लिए। आरोप जिला करनाल के गांव सातड़ी निवासी मंजीत उर्फ सोनू पर लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

सार्वजनिक सूचना

इस सूचना के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में शामो पत्नी महावीर निवासी मकान नंबर 2704, सदर बाजार करनाल द्वारा सम्पत्ति कर आईडी नंबर 1E30LDV1 स्थित सदर बाजार करनाल में नाम दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है। सम्पत्ति कर रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति कर आईडी नंबर 1E30LDV1 में बिना नाम दर्ज है तथा सुनहरी की मृत्यु दिनांक 09-03-2015 को हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में नाम तबदीली करने हेतु एक प्रलेख/वसीयत दिनांक 22-03-2010 तथा शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः यदि किसी आमजन व खासजन को उक्त खारसन तथा शपथ पत्र अनुसार सम्पत्ति कर आईडी नंबर 1E30LDV1 स्थित सदर बाजार करनाल में शामो पत्नी महावीर निवासी मकान नंबर 2704, सदर बाजार करनाल का नाम तबदीली हेतु किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस कार्यालय में नोटिस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा समयावधि पश्चात माना जाएगा कि उपरोक्त तबदील बारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस कार्यालय के सम्पत्ति कर में संबंधित यूनिक सम्पत्ति कर आईडी नंबर 1E30LDV1 में आवेदक का नाम दर्ज/तबदील कर दिया जाएगा। समयावधि पश्चात कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी
नगर निगम, करनाल।

पब्लिकेशन

न्यायालय तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत।

सुनीता पत्नी श्री नेतराम पुत्र नेतूराम निवासी गांव जलालपुर-1 तहसील बापौली जिला पानीपत हरियाणा-132103।

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि सुनीता पत्नी नेतराम पुत्र नेतूराम निवासी गांव जलालपुर 1 तहसील बापौली जिला पानीपत ने एक वसीयतनामा 95/3 दिनांक 07-10-2015 का इन्तकाल कराने हेतु कार्यालय में पेश किया - है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है।

यह कि सतिन्द्र पुत्र नेतूराम निवासी गांव जलालपुर-1 तहसील बापौली जिला पानीपत की मृत्यु दिनांक 24-10-2017 को हो चुकी है जो अविवाहित था और अपनी भाभी सुनीता पत्नी श्री नेतराम पुत्र नेतूराम के साथ था जिसने अपनी जायदाद बाबत एक वसीयतनामा अपनी भाभी सुनीता पत्नी श्री नेतराम पुत्र नेतूराम के नाम करवाई हुई है और यह इस वसीयतनामा का इन्तकाल रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करवाना चाहती है इसलिए हर आम व खास को इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के कोई भी वारिस / उत्तराधिकारी के बाबत कोई शक एवं एतराज हो तो वह स्वयं / अधिवक्त के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 15 दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय में कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दस्तावेज का पंजीकरण कर दिया जायेगा।

यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

क्रमांक 341 दिनांक 14-7-2026

तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार बापौली।

न्यायालय तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत।

श्री सोमनाथ सुपुत्र श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम निवासी मकान नम्बर 7, पुरोहत कालोनी, कच्चा कैम्प, नजदीक रामलिला स्टेज गली पानीपत।

बनाम

जनरल पब्लिक

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु दिनांक 10/05/1975 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति रामप्यारी धर्मपत्नी श्री लच्छ राम की मृत्यु दिनांक 21/08/1970 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति सोना बाई धर्मपत्नी झण्डा राम की मृत्यु काफी अरसा पहले हो चुकी है। यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु उपरान्त 1 ही वारिस है:- 1. दिवान चन्द उर्फ चमन लाल (सुपुत्र) श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम है। यह कि श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम की मृत्यु दिनांक 11/10/2014 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति कलावती देवी धर्मपत्नी श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल की मृत्यु दिनांक 05/10/2024 को हो चुकी है। यह कि श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम की मृत्यु उपरान्त 3 ही वारिस है:- 1. सोमनाथ 2. अशोक 3. कमलेश राम सुपुत्रगण श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम है। इनके इलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।

यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु के बाद अन्य कोई वारिस / उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए हर आम व खास को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के कथये गये वारिस / उत्तराधिकारी के बाबत कोई शक एवं एतराज हो तो वह स्वयं / अधिवक्त के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 15 दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय में कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दस्तावेज का पंजीकरण कर दिया जायेगा।

यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 3-8-2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

क्रमांक 566/ Re दिनांक 8/8/16

तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत।

न्यायालय तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत।

श्री सोमनाथ सुपुत्र श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम निवासी मकान नम्बर 7, पुरोहत कालोनी, कच्चा कैम्प, नजदीक रामलिला स्टेज गली पानीपत।

बनाम

जनरल पब्लिक

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु दिनांक 10/05/1975 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति रामप्यारी धर्मपत्नी श्री लच्छ राम की मृत्यु दिनांक 21/08/1970 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति सोना बाई धर्मपत्नी झण्डा राम की मृत्यु काफी अरसे पहले हो चुकी है। यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु उपरान्त 1 ही वारिस है:- 1. दिवान चन्द उर्फ चमन लाल (सुपुत्र) श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम है। यह कि श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम की मृत्यु दिनांक 11/10/2014 को हो चुकी है। यह कि श्रीमति कलावती देवी धर्मपत्नी श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल की मृत्यु दिनांक 05/10/2024 को हो चुकी है। यह कि श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम की मृत्यु उपरान्त 3 ही वारिस है:- 1. सोमनाथ 2. अशोक 3. कमलेश राम सुपुत्रगण श्री दिवान चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र श्री लच्छ राम है। इनके इलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।

यह कि श्री लच्छ राम सुपुत्र श्री झण्डा राम की मृत्यु के बाद अन्य कोई वारिस / उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए हर आम व खास को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के कथये गये वारिस / उत्तराधिकारी के बाबत कोई शक एवं एतराज हो तो वह स्वयं / अधिवक्त के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 15 दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय में कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दस्तावेज का पंजीकरण कर दिया जायेगा।

यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 3-8-2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

क्रमांक 566/ Re दिनांक 8/8/16

तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत।

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF Sh. Munish
Civil Judge Junior Division-Cum-JMIC 1st Class,
Sukhbir S/O RAM KUMAR S/O SH. LEHNA SINGH R/O VILLAGE PALRI, TEHSIL ISRANA, DISTRICT PANIPAT
Vs.
General Public
CIS NO-CS/1020/2026
CNR No. HRPP02-001547-2026
Next Date:- 25-08-2026
PUBLICATION ISSUED TO:
General Public
:-
PANIPAT

In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 25-08-2026 at 10:00 a.m.

For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Panipat.

Civil Judge Junior Division-Cum-JMIC 1st Class PANIPAT
Dated, this day of 31-07-2026

कार्यालय नगर निगम सोनीपत

नगर निगम सोनीपत की संपत्तिकर शाखा के रिकॉर्ड अनुसार न्यू प्रोपर्टी नं. 1JK6B598 जो कि जीएन विहार कालोनी सोनीपत वार्ड नं 05 में स्थित है। संपत्तिकर सर्वे अनुसार संपत्तिकर बिल में करदाता का नाम सुभाष दर्ज है। किसी भी संपत्तिकर दाता का नाम दर्ज न होने/ नाम गलत दर्ज होने मृत्यु दिनांक 06/12/2025 अथवा आवेदक द्वारा संबंधित प्रस्तुत की नयी प्रोपर्टी आई.डी. में नाम तबदील या नाम दर्ज करने तोशफत दुरुस्ती के लिए रजिस्ट्री नं 949 दिनांक 03/05/2016 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को इस Property से संबंधित कोई आपत्ति हो तो तथ्यात्मक प्रमाण दैनिक सांध्य समाचार पत्र में विज्ञापन देने की तिथि के 30 दिन के अंदर-अंदर लिखित रूप में नगर निगम के संपत्तिकर शाखा में दर्ज करवाए अन्यथा संपत्तिकर शाखा में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार विधवा सुषमा (पत्नी) अरुणी (पुत्र) प्रीती (पुत्री) पुत्र/पुत्री/पत्नी सुभाष के नाम कर दिया जाएगा। जिसके लिए नगर निगम कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम, सोनीपत।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री पाला सिंह राजकीय प्राथमिक पाठशाला छुछकवास 13189 (झज्जर) के नकारा घोषित हो चुके दो कमरों व उनके सामने जुड़े बरामदा की नीलामी दिनांक 18-08-2026 को दोपहर 12:00 बजे होनी है। नकारा भवन की सुरक्षित कीमत 2,13000/- (दो लाख तेरह हजार रुपये) है। प्रत्येक बोली दाता को नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत का डी.डी (टोकन)के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर के नाम देना होगा। बोली के अतिरिक्त नियम व शर्तें मौके पर सुना दी जाएंगी।

स्कूल इंचार्ज
व एसएमसी प्रधान स्वतंत्रता सेनानी
श्री पाला सिंह रा. प्रा. पा. छुछकवास 13189 (झज्जर)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण की इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मैं, जय सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री धरना राम, निवासी गाँव ओरंगाबाद, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर (हरियाणा) ने अपने स्वर्गीय पिता श्री धरना राम पुत्र श्री धूरा राम, निवासी देहात दिनांक 14.03.2023 को हो गया था, के कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। मेरे स्वर्गीय पिता श्री धरना राम के कानूनी वारिस निम्नलिखित है:- सरूपी - पत्नी, जय सिंह - पुत्र, राजेश कुमार - पुत्र, सोना - पुत्री, उषा रानी - पुत्री। उपरोक्त के अतिरिक्त स्वर्गीय श्री धरना राम का कोई अन्य कानूनी वारिस नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वारिसान के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने साक्ष्यों सहित संबंधित तहसीलदार, जगाधरी के कार्यालय में लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

तहसीलदार, जगाधरी

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहु में PWD (BBR)द्वारा सात कमरों को कंडम घोषित किया गया है जिसकी नीलामी दिनांक 11-08-2026 को 02:00 बजे विद्यालय परिसर में की जाएगी। नीलामी की अनुमानित राशि 3,54,000/-रु निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत डिमाण्ड ड्राफ्ट, प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहु झोतरी झज्जर के नाम जमा करवाना अनिवार्य होगा। सफल बोलीदाता को कुल राशि का 25 प्रतिशत तुरंत जमा करवाना होगा। बोली के अतिरिक्त नियम व शर्तें मौके पर सुना दी जाएगी।

प्राचार्य : राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहु झोतरी झज्जर। 9416721390

न्यायालय तहसीलदार कम सहायक सब रजिस्ट्रार साहब जीन्द

मनके संजीव तायल पुत्र श्री अनंत राम निवासी विवेकानंद नगर, जींद बनाम जनरल पब्लिक। इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता स्व० श्री अनंत राम पुत्र श्री सीता राम तायल निवासी जीन्द का स्वर्गवास मिति 25.07.2023 को हो चुका है व मेरी माता स्व० श्रीमती संतोष तायल पत्नी श्री अनंत राम निवासी जीन्द का स्वर्गवास मिति 30.03.2025 को हो चुका हैं। इनके स्वर्गवास के बाद निम्नलिखित वारिस है :- 1. अरूण कुमार (पुत्र) 2. संजीव तायल (पुत्र) 3. शिवराज तायल (पुत्र) 4. ममता गुप्ता उर्फ ममता (पुत्री)। इनके इलावा उक्त मृतक का दीगर वारिस नहीं है जिसके सम्बंध में प्राथकारी के बाबत कोई शक या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय के कार्यदिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 03/8/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार साहिब जीन्द

कार्यालय नगरपरिषद, सिरसा
सार्वजनिक सूचना

कार्यालय के प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड अनुसार नया हाउस टैक्स नंबर 3R4J24Y1 व 3RAF2MH7 कि आपके रिकॉर्ड में श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी अमीर चंद निवासी सिरसा के नाम पर दर्ज है। यह है कि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी अमीर चंद का स्वर्गवास दिनांक 14.07.2022 को हो चुका है व इनके पुत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र अमीर चंद का भी स्वर्गवास दिनांक 14.11.2025 को चुका है। यह है कि इनके स्वर्गवास के उपरांत वारसान रिपोर्ट एस आर सिरसा के अनुसार 1-अमीर चंद पति 2-सुरेन्द्र कुमार पुत्र 3-स्व. नरेन्द्र कुमार पुत्र 4(1)-नीरू पत्नी स्व. नरेन्द्र कुमार 4(2) मयंक पुत्र 4(3) मोहित पुत्र स्व. नरेन्द्र कुमार निवासीगण सिरसा हर समभाग मालिक व काबिज बने हैं। इनके इलावा मृतक का कोई अन्य वारिस नहीं है, ने नाम प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में तबदील करने हेतु अनुरोध किया है।

सूचित किया जाता है कि यदि नया हाउस टैक्स नंबर 3R4J24Y1 व 3RAF2MH7 में इस नाम तबदीली पर किसी आम व खास को कोई एतराज हो तो वह नोटिस प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अंदर इस कार्यालय में हाजिर असलतान व वकालतन अपना पक्ष पेश करें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद उपरोक्त यूनिट मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार मृतकान के वारसान के नाम केवल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली हेतु तबदील कर दिया जावेगा। इसमें नगर परिषद सिरसा की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। विदित रहे।

कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् सिरसा।

न्यायालय तहसीलदार-कम-सब-रजिस्ट्रार पानीपत

पूरनचन्द मल्हौत्रा पुत्र स्वर्गीय श्री आया राम पुत्र श्री चोखा राम निवासी मकान नम्बर 22, तहसील कैम्प, राम नगर, पानीपत।

बनाम जनरल पब्लिक

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि पूरनचन्द मल्हौत्रा पुत्र स्वर्गीय श्री आया राम पुत्र श्री चोखा राम निवासी मकान नम्बर 22, तहसील कैम्प, राम नगर, पानीपत बाबत इस कार्यालय में पेश किया है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आया राम पुत्र श्री चोखा राम की दिनांक 29.09.2017 को मृत्यु हो चुकी है एवम प्रार्थी की माता श्रीमति बैसर बाई की भी मृत्यु काफी अरसा पहले हो चुकी है। आया राम की मृत्यु बाद उनके 1. पूरनचन्द मल्हौत्रा, 2. गणेश दास, 3. मनोहर लाल 4. लीलाधर 5. ममता रानी 6. भगवान देवी 7. सन्तोष कुमारी 8. नीलम कपूर उत्तराधिकारी/वारिस हैं अन्य कोई वारिस नहीं है।

इनके अलावा मृतक सुन्दर दास का उपरोलिखित के इलावा अन्य कोई वारिस/उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके सम्बंध में प्रार्थी ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए हर आम व खास को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के बताए गए वारिस/उत्तराधिकारी के बाबत कोई शक एवम इतराज हो तो वह स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में कार्य दिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दस्तावेज का पंजीकरण कर दिया जावेगा।

यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 29.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

तहसीलदार-कम सब रजिस्ट्रार, पानीपत

सार्वजनिक सूचना

'एतद्वारा सूचित किया जाता है' कि मैं, श्रीमती रोज़ी अग्रवाल (पूर्व नाम श्रीमती रोज़ी गुप्ता), पुत्री स्व. श्री वतर सैन गुप्ता, निवासी यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) स्व. श्री वतर सैन गुप्ता एवं स्व. श्रीमती वीना गुप्ता द्वारा छोड़ी गई, पानीपत, हरियाणा में स्थित संपत्तियों में न्यायिक रूप से घोषित 50 प्रतिशत अविभाजित हिस्सेदारी की स्वामी हूं, अर्थात मकान नंबर 7, सेक्टर-11, हुडा, पानीपत तथा प्लॉट नंबर 96 व 111, सेक्टर-29, भाग-1 हुडा, पानीपत (अंतिम विभाजन सम्पन्न) एवं प्लॉट नंबर 112 व 294, सेक्टर-29, भाग-1, हुडा, पानीपत (विभाजन लंबित)

'डिक्रियां (न्यायालय, पानीपत): प्रारंभिक डिक्री: दिनांक 27.10.2017 (सिविल सूट संख्या 134/2016; CNR: HRPP02-001285-2016) अंतिम रूप से प्रभावी, तथा अंतिम डिक्री : दिनांक 29.09.2025 (FD-02/2024; CNR: HRPP02-000318-2024)

सावधानी: आम जनता, क्रेताओं, निर्माताओं (बिल्डरों), राजस्व अधिकारियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को सचेत किया जाता है कि वे इन संपत्तियों में मेरी 50 प्रतिशत अविभाजित हिस्सेदारी को मेरी लिखित सहमति के बिना क्रय, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक (मॉर्टगेज), पट्टे पर न दें और न ही उस पर कोई नया भार (एनकमबेंस) उत्पन्न करें। ऐसा कोई भी अनधिकृत लेन-देन कानूनी चुनौती के अधीन होगा और मेरी हिस्सेदारी पर बाध्यकारी नहीं होगा। यह सूचना दिनांक 27.10.2017 से पूर्व किसी वैध हकदार पक्ष द्वारा वैधानिक रूप से सृजित किसी भार को प्रभावित नहीं करती।

हस्ता./रोज़ी अग्रवाल (rosy7m75@gmail.com)

GOVT. PRIMARY SCHOOL
G.P.S. KOT,
Sonipat - 131001
URGENT REQUIRED
COOK
CUM HELPER
Contact: 9466549087

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत घड़ावठी खंड लाखन माजरा जिला रोहतक में पंचायती भूमि 22 एकड़ जमीन की बोली झींगा मछली पालन हेतु दिनांक 21 अगस्त 2026 शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे सामान्य चौपाल में होनी निश्चित हुई है। जो भी ठेकेदार बोली में भाग लेना चाहते हैं मौके पर पहुंचकर 100000/- रुपए की राशि जमा करवा कर भाग ले सकता है।

नोट : बोली की समस्त राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। सभी शर्तें मौके पर सुना दी जाएंगी।

सरपंच एवं ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत घड़ावठी, ब्लॉक लाखन माजरा, जिला रोहतक
मो.नं.-8053003466

राजकीय प्राथमिक पाठशाला, नारायण खेड़ा (17433)
ब्लॉक नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला, नारायण खेड़ा जिला सिरसा में दो कमरे बरामदे सहित जो विभागीय आदेशानुसार कंडम घोषित किए जा चुके हैं की नीलामी दिनांक 11.08.2026 को सुबह 10:30 बजे विद्यालय प्रांगण में करवाई जाएगी। इच्छुक बोलीदाता 10000/-रुपये धरोहर राशि जमा करवाकर बोली में शामिल हो सकता है। बोली की न्यूनतम राशि 50000/- रुपये से शुरू होगी।बोली की बाकी शर्तें मौके पर बताई जाएंगी।

विद्यालय प्रभारीः जयपाल सिंह मो. 94666-87428

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।
कौशल भवन, सैक्टर-3, पंचकूला

UVA

होम स्टे की ट्रेनिंग के लिए चयन हेतु आवेदन

युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के सभी जिलों के 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को होम स्टे की नि: शुल्क ट्रेनिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 04.08.2026 से 16.08.2026 तक सम्बन्धित जिला नोडल आई0टी0आई0 में आवेदन करें। आवेदन प्रपत्र एवं नियम व शर्तें विभाग की वैबसाईट www.itiharyana.gov.in से डाऊनलोड करें। चयन प्रक्रिया में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

DPR HRY1065/11/205/2027/47747/608/6

निदेशक

शिक्षित युवा-सम्मानित व कुशल हुआ

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

कौशल भवन, प्लॉट नं0 आई0पी0-2, सैक्टर-3, माजरी चौक, पंचकूला। www.itiharyana.gov.in

आई0टी0आई0 पास उम्मीदवारों को अप्रैंटिसशिप करने का सुनहरा अवसर

हरियाणा सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एवं निगमों आदि के कार्यालयों में अप्रैंटिस एक्ट, 1961 के तहत ट्रेड अप्रैंटिस लगने के लिए आई0टी0आई0 पास इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्यालयों में अप्रैंटिस लगने हेतु पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2026 की तृतीय अनुसूची के द्वितीय चरण के लिए दिनांक 14.08.2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है। आई0टी0आई0 पास उम्मीदवार हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो या दसवीं कक्षा हरियाणा राज्य से पास की हो या उम्मीदवार चंडीगढ़ (यू0टी0) का स्थाई निवासी हो और उसने हरियाणा या चंडीगढ़ में स्थित, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 के तहत आई0टी0आई0 कोर्स पास किया हो। प्रत्येक प्रतिष्ठान में अप्रैंटिसशिप हेतु उपलब्ध सीटों के प्रति 20 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, 27 प्रतिशत सीटों के प्रति पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को एवं 4 प्रतिशत सीटों के प्रति दिव्यांग उम्मीदवारों (PWD) को वरीयता दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में स्वयं की Email I.D. अपना मोबाईल नं0 व अपना आधार नंबर सही दर्ज करें। पोर्टल द्वारा सभी सूचनाएं उम्मीदवार की ई0मेल0/मोबाईल नं0 पर ही भेजी जाएंगी। किसी भी जानकारी के लिए निकटतम राजकीय आई0टी0आई0 संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।

DPR HRY1065/11/206/2027/47748/608/6

निदेशक

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः श्री टावर्स, प्लॉट नं. 14-ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई तमिलनाडु-600032, तमिलनाडु, और वॉकहार्ट टावर्स, लेवल-3, सी-2, जी ब्लॉक, बदरा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-40051
ब्रांच ऑफिसः 9/47, मॉडल टाउन, सैनी स्वीट्स के सामने, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा-125001

सांकेतिक कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (SFL) का अधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए दिया गया है।
उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं